



डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिकविश्वविद्यालय, उत्तरप्रदेश
सेक्टर-11 जानकीपुरमविस्तार, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / 13358


दिनांक 17 अगस्त, 2021

महत्वपूर्ण सूचना

सूचित करना है कि JEE(Main)-2021 एवं UPCET-2021 की प्रवेश परीक्षा के उपरान्त डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध संस्थाओं में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने के इच्छुक समस्त आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को श्रेणी का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रदान किया जायेगा जिनके प्रमाण पत्र काउंसिलिंग की तिथि के समय वैध होंगे तथा जिनके द्वारा निम्न इंगित बिन्दुओं के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा:-


1. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों (OBC) द्वारा काउंसिलिंग के समय निर्धारित प्रारूप (संलग्नक 1 के अनुसार) पर 31 मार्च, 2021 के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अर्थात् 01 अप्रैल, 2021 के पूर्व की तिथि को जारी किये गये प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।
2. उक्त के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा काउंसिलिंग के समय राज्य सरकार/भारत सरकार के द्वारा अद्यतन निर्धारित प्रारूप (संलग्नक 2 के अनुसार) पर निर्गत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

यह भी सूचित करना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों सहित समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में सम्भावित विलम्ब से होने वाली समस्याओं से बचने के लिए काउंसिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व समयान्तर्गत सक्षम स्तर से सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर नवीनतम प्रमाण पत्र बनवाकर अपने पास सुरक्षित रख ले ताकि काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।


(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. समन्वयक, प्रवेश प्रक्रिया एवं काउंसिलिंग समिति-2021
2. जन सम्पर्क अधिकारी, ए0के0टी0यू0 लखनऊ को जन साधारण के सूचनार्थ।
3. स्टाफ आफीसर, कुलपति कार्यालय, मा0 कुलपति महोदय ए0के0टी0यू0, लखनऊ।


(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव

CERTIFICATE – 1 (प्रमाण पत्र-1)

अनुसूचित जाति/जनजाति(UPSC/UPST/GDSC/GDST)

(अभ्यर्थी के जन्म जिले के जिलामजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु० पुत्र/पुत्री श्री
..... निवासी गाँव/शहर तहसील
जिला प्रदेश का जन्म जाति में हुआ था
और यह जाति अनुसूचित जाति/जनजाति आदेश (संशोधन) एक्ट 1956 के अन्तर्गत भारत
सरकार/उत्तर प्रदेश शासन सरकार द्वारा मान्य
अनुसूचितजाति/जनजाति है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

जिलाअधिकारी / अतिरिक्त जिलाअधिकारी /

सिटीमजिस्ट्रेट / परगनामजिस्ट्रेट / तहसीलदार

हस्ताक्षर

नाम

मोहर

Note: Performa of certificate shall be changed according to latest Govt. order.

CERTIFICATE – 2 (प्रमाण पत्र-2)

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र(UPBC/GDBC)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती /कुमारी
 सुपुत्र/सुपुत्री श्रीनिवासी ग्राम
 तहसील नगर जिला
 उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह
 जाति उत्तर प्रदेश लोकसेवा अनुसूचित जातियों । अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के
 लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 की अनुसूची- 1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
 यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची-2 (अधिसूचना संख्या -22/16/92-का
 02/1995 टी0 सी0 दिनांक 8 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित) से आच्छादित नहीं
 है।
 श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उन का परिवार
 उत्तर प्रदेश के ग्राम नगर
 जिला में सामान्यतया रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
 दिनांक

हस्ताक्षर
 नाम
 स्थान

मोहर

जिलाअधिकारी / अतिरिक्त जिलाअधिकारी /
 सिटीमजिस्ट्रेट / परगनामजिस्ट्रेट / तहसीलदार

Note that the Certificate No. 2 for OBC candidates will be entertained only if it is issued on or after 01.04.2021 (mandatory due to condition of creamy layer for OBC).

CERTIFICATE - 3(प्रमाण पत्र-3)

उत्तर प्रदेश के मूल/सामान्य निवासी के पुत्र/पुत्री(UPGD/GDSC/GDST/GDBC)
(उस जिले के अधिकारी द्वारा प्रमाणित जिस जिले के माता/पिता निवासी है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम)
.....पिता/माता श्री/कु0(अभ्यर्थी का नाम)..... उत्तर
प्रदेश के गाँव/शहर तहसील जिला
..... के मूल निवासी हैं तथा श्री/कु0 (अभ्यर्थी का नाम)
अपने पिता/माता पर पूर्णतया आश्रित हैं। उक्त पते पर श्री/कु0 (अभ्यर्थी का नाम)
.....के माता/पिता सामान्यतः निवास करते हैं।

दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर जिलामजिस्ट्रेट
पूरानाम
पदनाम
मुहर (जिला मजिस्ट्रेट की सील)

जिलामजिस्ट्रेट अथवा जिलामजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत अपर जिलामजिस्ट्रेट/सबडिवीजन मजिस्ट्रेट
द्वारा प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जो शा0आ0 सं0-157/तीन -2003-77(II)/83 दिनांक 18 फरवरी,
2003 के अधीन जारी किया जायेगा।

नोट-प्रमाण पत्र-3 अभ्यर्थी के माता/पिता का बना होना चाहिए क्योंकि अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हकारी
परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी विद्यालय से उत्तीर्ण की है परन्तु उनके माता/पिता
उत्तर प्रदेश के मूल/स्थाई निवासी हैं परीक्षा में बैठने के पात्र हैं।

CERTIFICATE – 4 (प्रमाण पत्र-4)(Sub-Category UPFF)

उत्तर प्रदेश लोकसेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम)

.. निवासी ग्रामतहसील नगर

..... जिला उत्तर प्रदेश लोकसेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कु0(आश्रित अभ्यर्थी का नाम)

..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्री उपरांकित अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

पूरा नाम एवं पदनाम

मुहर (जिला मजिस्ट्रेट की सील)

Note: Proforma of certificate may be changed according to latest Govt. order.

CERTIFICATE - 5 (प्रमाण पत्र-5)

Part - A

उत्तर प्रदेश/सेनादल(Sub-Category UPAF)

(अंतिम यूनिट के आफिसर कमान्डिंग/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा प्रमाणित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी के पिता अथवा माता का नाम)निवासी
गाँव/शहर तहसील जिलाउत्तर प्रदेश, के
दिनांकको सेवा निवृत्त(Superannuated) युद्ध में मारे गये/अपंग हो गये/उत्तर प्रदेश में
वर्तमान में तैनात है। वे भारतीय थलसेना/जलसेना/वायुसेना के स्थान दिनांक.....
..... से दिनांक तक कार्यरत थे/हैं।

दिनांक

स्थान

यूनिट कमान्डिंग आफिसर के हस्ताक्षर

नाम

मोहर

Part - B

(जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0(अभ्यर्थी) निवासीउत्तर
प्रदेश गाँव/शहर तहसील जिला उपरोक्त सेनादल के
सेवानिवृत्त(Superannuated) युद्ध में मारे गये या अपंग हो गये कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी
हैं/थे, के पुत्र/पुत्री हैं अथवा प्रवेश परीक्षा की तिथि को उत्तर प्रदेश भारतीय थलसेना/जलसेना/वायुसेना में
कार्यरत थे/हैं।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

मोहर

CERTIFICATE – 6 (प्रमाण पत्र-6) (Sub-Category UPHC)

शारीरिक विकलांग के अधिमान के लिए प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्साअधिकारी द्वारा प्रमाणित)

- 1- यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0(अभ्यर्थी)पुत्र/पुत्री श्री
(पिता का नाम)नीचे लिखे कारणों से शारीरिक रूप से विकलांग हैं।
(केवल मुख्य चिकित्साअधिकारी ही कारण लिखें).....
2. अभ्यर्थी की उपरोक्त विकलांगता को निम्न प्रकार की विकलांगता की श्रेणी में रखा जा सकता है।
(कृपया✓कानिशान लगायें)

Type - I: Minimum 40% permanent Visual impairment	
Type-II: Minimum 40% permanent Locomoter disability	
Type-III: Minimum 40% permanent Speech Hearing impairment	

- 3- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विकलांग स्थिति अभ्यर्थी के इन्जीनियरिंग शिक्षा प्राप्त करने में बाधक नहीं होगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
नाम
दिनांक

चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर
नाम
मुहर

CERTIFICATE - 7 (प्रमाण पत्र-7)

उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र के लिये अधिमान(UPGE)

(कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0(अभ्यर्थी) ने
कालेज गाँव से इण्टरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की। यह कालेज तहसील
..... जिला उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं तथा ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र के सीमा के
अन्दर है और यह क्षेत्र औद्योगिक विकसित क्षेत्र नहीं है।

दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर
नाम
मुहर

(जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिलामजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)

प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया कालेज की स्थिति से संबंध उपरोक्त वक्तव्य प्रमाणित किया जाता है।

दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर जिलाविद्यालय निरीक्षक
नाम
मुहर

दिनांक
स्थान
मुहर

प्रति हस्ताक्षरित जिला/अपर/उप जिलामजिस्ट्रेट
नाम

CERTIFICATE - 8 (प्रमाण पत्र-8)
**CHARACTER CERTIFICATE FROM THE HEAD OF
 THE INSTITUTION LAST ATTESTED**

This is to certify that Sri / Km.
 has been a bonafide student of
 from _____ to
 _____ and
 has passes / appeared at the

 examination in the year _____

Proctorial reports:

1. Has he / she involved himself / herself if any act of indiscipline? Yes / No
2. Has he / she been warned, Fined or punished for any act of indiscipline? Yes / No
3. Has he / she been restricted or expelled from Hostel of College for any reason? Yes/
No
4. Has he / she been involved in any act of indisiple outside the College campus like
group clashes or fraction fights etc. Yes/ No
5. Has he / she been addicted to drugs or intoxicants? Yes/ No

General remarks (Please state your assessment of the student)

Date :

Signature _____

Name _____

Designation

CERTIFICATE -9 (प्रमाणपत्र-9)

*** FORMAT FOR MEDICAL CERTIFICATE**

(To be obtained from a Chief Medical Officer or Medical Officer of a participating U.P. State Funded Engg. Institute)

This certificate has to be submitted at the time of admission in the college allotted.

Name of Candidate:		Age:		Sex:		
Category:		Subcategory & Weighatge:				
State Rank Position:		Father's Name:				
(To be filled in by the Candidate)						
L.T.	M.I.			VISION	Colour Vision:	
Height	Weight	Chest	Abdomen		Without glass:	
				B.P.	With glass:	
History		Operation		Kockh'sColics		
		Seizures		Asthma		
				Piles		
				Diabetes		
E X A M I N A T I O N	Pulse		Tonsil		DNS	
	Hernia					
	Pallor		L.Nodes		CSOM	
	Hydrocele					
	Cardiovascular				CNS	
Respiratory				GIT		
Genitourinary				Others		
Is the candidate physically handicapped/Disabled: <input type="checkbox"/> (Please tick) Yes / No						
If yes, type of handicap/disability: <input type="checkbox"/> Type -I: Minimum 40% permanent Visual impairment						
(Please tick ✓ the type of handicap/disability) <input type="checkbox"/> Type-II: Minimum 40% permanent Locomoter disability						
and <input type="checkbox"/> Type-III: Minimum 40% permanent speech						
and <input type="checkbox"/> Hearing impairment						
Any other finding:						
Certified that the candidate is physically fit/unfit/temporally disqualified to pursue engineering studies						

Signature of Candidate

Signature of the issuing Medical Officer (with Official stamp)

CERTIFICATE – 10 (प्रमाणपत्र-10)
UNDERTAKING BY CANDIDATE FOR MEDICAL FITNESS

I certify that I have no such physical handicap/disability which would hinder the pursuit of studies in the courses in which I am seeking admission. If at stage it is found that I have a physical handicap/ disability which would hinder the pursuit of studies in the courses in which I am seeking admission then my admission will be liable to be cancelled. I will produce medical fitness certificate from a C.M.O./C.M.S. at the time of my joining the institution allotted by counselling.

Dated:

Counter Signed by Father / Guardian

Signature of the Candidate

CERTIFICATE – 11 (प्रमाणपत्र-11)

अखिल भारतीय सेवा के उ०प्र० कैंडर के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी के माता/पिता का नाम)
पदनाम विभाग का नाम कैंडर संख्या
..अखिल भारतीय सेवा के उ०प्र० कैंडर के अधिकारी/कर्मचारी है तथा वर्तमान में इस कार्यालय में कार्यरत
हैं। यह प्रमाण पत्र इनके पुत्र/पुत्री (अभ्यर्थी का नाम)को डा०
ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अन्तर्गत प्रवेश हेतु प्रदान किया
जाता है।

दिनांक:

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम
मुहर

CERTIFICATE-12 (प्रमाण पत्र-12)
(Income Certificate)

क्षेत्रीय भूलेख निरीक्षक तथा लेखपाल की जांच रिपोर्ट के आधारपर प्रमाणित किया जाता है कि----- (आवेदक के अभिभावक/माता/पिताका नाम) सुपुत्र
-----निवासी/ग्राम-----परगना-----
-----तहसील-----नगर-----जिला-----राज
य ----- के स्वयं की मासिक आय रूपया----- तथा वार्षिक आय
रूपया----- है।
लेखपाल की रिपोर्ट के अनुसार आय कास्रोत----- है।

स्थान:

दिनांक:

तहसीलदार

मुहर

नोट-अभ्यर्थी ध्यान दें कि उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र अप्रैल 01, 2021 के पश्चात का बना हुआ होना आवश्यक है।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी0सी0-II दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

E.W.S

CERTIFICATE-13 (प्रमाण पत्र-13)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम तहसीलदार महोदय, तहसील.....(उ0प्र0) भारत- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र ।

प्रमाण पत्र संख्या.....

दिनांक

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पत्नी.....ग्राम/कस्बा
पोस्ट आफिस थाना
ब्लाक..... तहसील..... राज्य
पिन कोड के स्थायी निवासी हैं। जिसका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की
कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये) से कम है इनके परिवार के स्वामित्व में
निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं हैं।

1. 5 (पांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि या इसके ऊपर ।
 2. एक हजार वर्गफिट अथवा इससे अधिक का आवासीय का फ्लैट ।
 3. अधिसूचित नगर पालिका से अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड ।
 4. अधिसूचित नगर पालिका से अन्तर्गत 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड ।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी जातिके सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित नहीं है।

हस्ताक्षर.....(कार्यालय का मुहर)
पूरा नाम
पदनाम
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार ।